

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2490]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 08, 2014/अग्राहायण 17, 1936

No. 2490]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 08, 2014/AGRAHAYANA 17, 1936

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3087(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्री उदय प्रताप सिंह की नियुक्ति अवधि समाप्त होने और दिनांक 23 सितम्बर, 2014 के अपराह्न से उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग और आयुक्त, खादी और ग्रामोद्योग के पद का कार्यभार त्यागने पर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आदेश करती है कि श्री बी.एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग उक्त अधिकारी द्वारा देखे जा रहे वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त अगले आदेश तक आयुक्त, खादी और ग्रामोद्योग, मुम्बई के कार्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. 6(1)/2011-केवीआई- II]

समर नन्दा, उप सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

ORDER

New Delhi, the 8th December, 2014

S.O. 3087(E).—Where upon the expiry of the period of appointment of Shri Udai Pratap Singh as Chief Executive Officer in the Khadi and Village Industries Commission, Mumbai, and relinquishment of his charge as Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission and Commissioner for Khadi and Village Industries with effect from 23rd September, 2014 in the afternoon, the Central Government hereby orders that Shri B.H. Anil Kumar, Joint Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and Chief Executive Officer of the Khadi and Village Industries Commission shall discharge the functions of the Commissioner for Khadi and Village Industries, Mumbai, till further orders in addition to the current charge being handled by the said officer.

[F. No. 6(1)/2011-KVI-II]

SAMAR NANDA, Dy. Secy.